राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
State Election Commission, Bihar

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 13.05.2026

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 हेतु मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन एवं मतदान केन्द्रों की स्थापना से संबंधित

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली एवं आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के आलोक में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 के लिए राज्य के संबंधित नगरपालिका निकायों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 13.05.2026 को कर दिया गया है।

आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की कार्रवाई संपन्न की गई। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा नियमानुसार जांच, सुनवाई एवं निष्पादन सुनिश्चित किया गया।

- अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं के नाम निर्वाचन नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप सम्मिलित किए गए हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन, संशोधन तथा स्थानांतरण से संबंधित मामलों का निष्पादन विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत किया गया है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- आयोग के निदेशानुसार अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची संबंधित नगरपालिका कार्यालयों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कार्यालयों तथा अन्य अधिसूचित स्थलों पर आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी। आवश्यकतानुसार इसकी प्रति संबंधित मतदान केंद्रों पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आयोग के वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर भी देख सकते हैं।
- आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण सुनिश्चित कर लें तथा आगामी निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाने में सहयोग करें।

- प्रारूप मतदान केन्द्रों की सूची (प्रपत्र-A) के प्रकाशन अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन एवं तदनुसार प्रारुप सुची में संशोधन की अवधि दिनांक 28.04.2026 से 13.05.2026 तक निर्धारित की गयी थी।
- प्रपत्र-A (मतदान केन्द्र की अंतिम सूची) पर आयोग द्वारा अनुमोदन की अवधि 15.05.2026 से 21.05.2026 तक निर्धारित है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्वाचन कार्य निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी ढंग से क्रियान्वयन तथा संपादित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

- **मतदाता/नागरिक हेतु सुविधा**
  - मतदाता के लिए ऑनलाईन सुविधा :- कोई भी मतदाता/ नागरिक राज्य निर्वाचन आयोग,बिहार के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचन/मतदाता सूची/मतदान केन्द्र/ 'प्रपत्र-1' से संबन्धित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं ऑनलाइन दावा/आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं।
  - इसके अलावा कोई भी व्यक्ति/मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नं. 1800-3457-243 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

13/5/26

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार